न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 36 / 2023

अनवान : –

1. भूपगिरी पुत्र हुकमगिर जाति गोंसाई निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

दिनांकः 20/05/2024

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 336 / 289 की कुल 4.0210 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि में वादी का भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 150 / 145 की कुल 1.8970 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि वादी का नाम भूपगर पुत्र हुकमगर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का सहवन से गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम भूपगिरी पुत्र हुकमगिर है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैनकार्ड कार्ड आदि में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम रामप्रताप राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम भूपगिरी पुत्र हुकमगिर है जबकि उक्त वादी भूमि में नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी [illegible] यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र,, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम भूपगिरी पुत्र हुकमगिर [illegible] वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम भूपगिरी पुत्र हुकमगिर राजस्व रिकार्ड में [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 336/289 की कुल 4.0210 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी का भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 150/145 की कुल 1.8970 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी का नाम भूपगर पुत्र हुकमगर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी अपना नाम भूपगिरी पुत्र हुकमगिर दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड कार्ड आदि में वादी का नाम भूपगिरी पुत्र हुकमगिर अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों ए के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 336/289 की कुल 4.0210 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी का **भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी के स्थान पर भूपगिरी पुत्र हुकमगिर** व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 150/145 की कुल 1.8970 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी का नाम **भूपगर पुत्र हुकमगर के स्थान पर भूपगिरी पुत्र हुकमगिर के संशोधन की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व भूपगर पुत्र हुकमगर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व भूपगर पुत्र हुकमगर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व भूपगर पुत्र हुकमगर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 36/2023
अनवान : –

1. भूपगिरी पुत्र हुकमगिर जाति गोंसाई निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 36 सन 2023 निर्णय दिनांक – 20/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 336/289 की कुल 4.0210 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी का **भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी के स्थान पर भूपगिरी पुत्र हुकमगिर** व रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 150/145 की कुल 1.8970 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी का नाम **भूपगर पुत्र हुकमगर के स्थान पर भूपगिरी पुत्र हुकमगिर के संशोधन की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व भूपगर पुत्र हुकमगर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व भूपगर पुत्र हुकमगर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम भूपगिर पुत्र हुक्मगिरी व भूपगर पुत्र हुकमगर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:55 IST
Reason: SelfAttested